मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

एफ–7 सांची कॉम्पलेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016
दूरभाषः 07552767786 ई–मेलः registrarmpmc@gmail.com

क्र. एमपीएमसी/डुप्लीकेट एडिशनल/2020/674 भोपाल दिनांक 25/01/2020

//परिपत्र//

विषयः एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट प्रति जारी किए जाने के संबंध में ।

म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट प्रति जारी किए जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. **सेवा का उद्देश्यः–**
   मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल से पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट प्रति जारी किया जाना ।
2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमाः–**
   रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल,
3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :–**
   आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल, लोक सेवा केन्द्र अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जायेगा ।
4. **पात्रता की आवश्यक शर्ते :–**
   आवेदक मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल में संबंधित स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता का पंजीयन होना चाहिए,
5. **आवश्यक दस्तावेज :–**
   5.1 परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
   5.2 स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि
   5.3 मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल का एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, (यदि उसकी प्रति उपलब्ध हो तो किन्तु permanently destroyed in fire/water accident /eaten by deemak /insect become illegible now हेतु अनिवार्य है।)
   5.4 नोटराईज्ड शपथ पत्र (Appendix 'B')
   5.5 यदि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट lost/theft/ destroyed हो गए हो तो, संबंधित पुलिस थाना में की रिर्पोट की स्वसत्यापित प्रति, (for a and b its mandatory)
   5.6 आवेदक का स्वयं का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर (दोनो एक साथ) की स्केन कॉपी । (Appendix 'A')

6. आवेदक को एम. पी. ऑनलाईन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना होगी–
   6.1 आवेदक https://mpmc.mponline.gov.in/ पर क्लिक करें । उसके उपरांत होम पेज पर User Profile Creation पर क्लिक कर अपना यूजर प्रोफाइल बनाएं। जिनके द्वारा यूजर प्रोफाइल पूर्व में ही बना ली है उन्हें दुबारा यूजर प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है। User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/ Biometric से पुष्टि होकर बनेगा ।
   6.2 यूजर प्रोफाइल/आवेदन प्रस्तुत करने/डॉक्यूमेन्ट अपलोड करने/ऑनलाईन भुगतान करने में कोई तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु एम0 पी0 ऑनलाईन लिमिटेड के कस्टमर केयर के दूरभाष क्रमांक 0755–6720200 पर सम्पर्क करें अथवा एम. पी. ऑनलाइन की शिकायत लिंक

http://mponline.gov.in/portal/ → Grievances पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

6.3 यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्केन कर निर्धारित फॉर्मेट Appendix **'A'** अनुसार अपलोड करना होगा (प्रारूप अनुसार फोटो के स्थान पर फोटो चस्पा कर उसके नीचे दिये गये हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर कर एक साथ स्कैन करें)। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.4 यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आईडी सही–सही दर्ज करना होगा। यूजर प्रोफाइल में दर्ज मोबाइल नम्बर ही आवेदक का यूजर आईडी रहेगा।

6.5 आवेदक को डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र उसके यूजर प्रोफाइल में मिलेगा।

6.6 आवेदक, आवेदन पत्र में पूर्व से दर्ज विवरण का मिलान कर लें। कोई त्रुटि होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल की ई–मेल आईडी अथवा कार्यालय में सीधे पत्र भेजकर उक्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

6.7 आवेदक को अपने User Profile के माध्यम से ही डुप्लीकेट एडिशनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

6.8 यदि आवेदक का यूजर प्रोफाइल नहीं बना है तो आवेदक को मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल के पोर्टल httpd://mpmc.mponline.gov.in के होम पेज पर जाकर User Profile Creation पर जाकर अपना युजर प्रोफाईल बनाना होगा । User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/ Biometric से पुष्टि होकर बनेगा ।

6.9 User Profile में दर्ज किये गया मोबाइल नम्बर ही आवेदक का यूजर आईडी होगा तथा ओटीपी (पासवर्ड) भी इसी मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होगा । आवेदक को अवगत कराया जाता है कि वे अपना स्थाई मोबाईल नम्बर ही अपने User Profile में दर्ज करें ।

6.10 आधार में पंजीकृत नाम ही आवेदन/सर्टिफिकेट में अंकित होगा। यदि दोनों में कोई असमानता है तो आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व अपने आधार/अभिलेख सही करवा लें। आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सही–सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा । ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.11 मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल से संबंधित स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि का पंजीयन होने पर ही आवेदक डुप्लीकेट एडिशनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें ।

6.12 यदि आवेदक का एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गुम हो गया है /जल गया है /चोरी हो गया है तथा जिसके भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है तो इस संबंध में पुलिस थाने में आवेदन /रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी जिसकी स्वसत्यापित छायाप्रति कौंसिल में भी प्रस्तुत करना होगी ।

6.13 यदि आवेदक का एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐसी स्थिति में है कि उसकी लिखावट पढ़ने में नही आ रही है / दीमक ने नष्ट कर दिया हो / खराब हो गया हो / आवेदक को डिजिटल साइन्ड सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो तो, मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसा है वैसी स्थिति में कौंसिल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6.14 बिन्दु कमांक 6.7 एवं 6.8 दोनो ही स्थिति में आवेदक को रूपये 50 के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड मूल शपथ पत्र Appendix "B" अनुसार कौंसिल में प्रस्तुत करना होगा।

6.15 डुप्लीकेट एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेतु कंडिका –5 अनुसार आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज गुम हो जाने की स्थिति में आवेदक को पहले उनकी डुप्लीकेट प्रति संबंधित संस्था से प्राप्त करना होगी । उसके पश्चात ही डुप्लीकेट प्रति हेतु आवेदन करे ।

6.16 यदि आवेदक को मूल पंजीयन प्रमाण पत्र मिल जाता है तो आवेदक को दोनो में से कोई एक (मूल पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र) कौंसिल को जमा किया जाना होगा अर्थात आवेदक अपने पास केवल एक ही पंजीयन प्रमाण पत्र रख सकेगा ।

6.17 आवेदक को आवेदन ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जाना होगा एवं कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

6.18 आवेदक को डुप्लीकेट एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेतु आवेदन शुल्क रूपये 2500/– (दो हजार पॉच सौ) का भुगतान ऑनलाइन किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क [अप्रतिदेय (non refundable)] है ।

6.19 आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद अभिलेखों के सत्यापन हेतु आवेदक को अपनी सुविधा अनुसार अपाईंटमेंट हेतु स्लाट बुक करना होगा ।शासकीय अवकाश दिवस हेतु स्लॉट बुक न करें।

6.20 अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय उक्त आवेदन पत्र की कलर प्रिंट की प्रति पर आवेदक को अपने आवेदन पत्र पर अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर को मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल से पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा (पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं सील सहित) । उसकी एक प्रति आवेदक अपने पास सुरक्षित रखें ।

6.21 अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय आवेदक को अपने मूल दस्तावेज के पीछे के भाग का लेमिनेशन निकालकर प्रस्तुत करना होंगे ताकि मूल दस्तावेजों के पिछले भाग पर परिषद् की मुहर लगाई जा सके ।

6.22 आवेदक को चयनित दिनांक को म. प्र. मेडिकल कौंसिल के कार्यालय (एफ–7 सांची कॉम्पलेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016) में अपने अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। चयनित दिनांक पर ही आवेदक उक्त सत्यापित आवेदन पत्र एवं अपने मूल अभिलेखों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे । समस्त मूल अभिलेख (शपथ पत्र को छोड़कर) आवेदक को वापस कर दिये जावेंगे।

6.23 ऑनलाईन आवेदन जमा होने पर आवेदन की पावती (Receipt) आवेदक के लॉगइन पर उपलब्ध होगी।

6.24 आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत होने के उपरांत एक यूनिक एप्लीकेशन नम्बर जनरेट होगा। उक्त यूनिक एप्लीकेशन नम्बर से अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।

6.25 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु (यूजर प्रोफाइल की जानकारी को छोड़कर) आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को (User Profile में जाकर) आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत करना होगा।

6.26 यदि आवेदक चयनित तिथि को अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है अथवा Sent Back किये गये आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत नहीं करता

है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को अभिलेखों के सत्यापन हेतु पुनः स्लॉट बुक करना होगा जिस हेतु पुनः स्लॉट बुकिंग शुल्क रूपये 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) का भुगतान ऑनलाइन किया जाना होगा ।

6.27 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र / आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा

6.28 आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना एवं कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड करना होगा।

6.29 आवेदक को बिंदु क्रमांक –8 अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाईन किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क [अप्रतिदेय (non refundable)] है

7. आवेदन प्राप्त होने पर म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

7.1 आवेदक द्वारा चयनित तिथि को आवेदक के उपस्थित होने की स्थिति में ही आवेदन/अभिलेखों के सत्यापन, आवेदन स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने की आगामी कार्यवाही म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा की जावेगी।

7.2 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को अपने User Profile में जाकर आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत करना होगा।

7.3 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त कर आदेश पारित किया जावेगा । आदेश की प्रति आवेदक के User Profile में उपलब्ध होगी ।

7.4 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट कर डिजिटल साईन किया जावेगा।

7.5 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र / आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा ।

7.6 आवेदक अपने डुप्लीकेट एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिजिलॉकर से भी प्राप्त कर सकते है ।

7.7 निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर निर्धारित समय–सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा ।

8. शुल्क –

8.1 डुप्लीकेट एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेतु आवेदन शुल्क [अप्रतिदेय (non refundable)] रूपये 2500/– (दो हजार पॉच सौ) है ।

8.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑन लाइन द्वारा निर्धारित पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

पृ0 क्रं. एमपीएमसी/ डुप्लीकेट एडिशनल/ 2020/675-84 भोपाल दिनांक 25/01/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म. प्र. ।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र. ।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म. प्र. ।
4. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. ।
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ।
6. अधिष्ठाता, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम पी ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लाक–ओ.बी., 14–17, चतुर्थ मंजिल, डी बी सिटी कॉर्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, एम. पी. नगर जोन–1 के सामने, भोपाल।
8. श्री आयुष तिवारी, बिजनेस एनालिस्ट, एमपीऑनलाईन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. उप पंजीयक म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल ।
10. समस्त कर्मचारी, स्थानीय कार्यालय म. प्र. ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

Appendix –A

Colour Photo
Signature

Appendix 'B'

Format of Affidavit for submitting along-with Application for Duplicate Registration
(Notarized AFFIDAVIT on stamp paper of Rs. 50.00 denomination)

AFFIDAVIT

I, Dr. .... age .... years s/o .... r/o .... do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. My medical qualification .... is registered with ....(Mahakoshal / Bhopal / Madhya Pradesh) Medical Council, vide no. .... dated...................
2. That my original registration certificate has been ---------- (Please write here in one of the facts out of five – (i) Lost or Missing (ii) Stolen by somebody (iii) Permanently destroyed in a Fire /Water accident (iv) Eaten up by Deemak/insect etc (v) illegible now).
3. That I have lodged a complaint in this matter at police station --------------- and I am submitting a copy of complaint in support of my above statement.
4. That the original registration certificate is not with me.
5. That I hereby state that in case I receive my original registration certificate in future from any source after having obtained the duplicate copy. I will keep with me only one copy of the registration certificate and the original copy shall be deposited with Registrar, M. P. Medical Council.
6. I declare that documents which I have submitted along with my online application for registration which are genuine and true.
7. I undertake that documents and declarations submitted by me if found false, fabricated or otherwise tampered with then Council shall, cancel my registration of additional qualification and shall proceed for taking action against me in accordance with law.

Deponent

VERIFICATION

I, Dr. .... do hereby verify that contents of Para 1 to 7 of affidavit are true to my personal knowledge.

Verified at .... on this .... Day of .... 20 .

Deponent